

हरीश-चन्द्र अनुसंधान संस्थान/Harish-Chandra Research Institute

चिकित्सा सहायता दावा प्रपत्र/Medical Assistance Claim Form

निदेशक/The Director, एच.आर.आई., प्रयागराज (इलाहाबाद) /H.R.I., Prayagraj (Allahabad)

मेरे स्वयं/अपने आश्रित (जिसका विवरण निम्नवत है) के उपचार पर हुए व्यय संबंधी मूल विल/कैश मेमो तथा चिकित्सक का नुस्खा संलग्न कर रहा/रही हूँ। कृपया इसकी प्रतिपूर्ति शीघ्र कराने की कृपा करें।Enclosed herewith please find the following original

	रोगी का नाम/Name of the Patient			संबंध/Relationship*	टिप्पणी, यदि कोई/Remarks, if any			
				करें।) *Nature of claim दीर्घकालीन/Prolonged[pl. Med. Proce	edure
उपरोत्त	5 उपचार पर	हुए खर्च वे	5 बिल/कैश में	नेमो का विवरण/Details of	Cash Memos/	Bills for the	above treatm	nents:-
क्र.सं.	विल नं0 Bill No.	दिनांक Date		ुकान का नाम व पता of the firm and address	कुल खर्च रकम (₹) Amount Paid (₹)		भुगतान के लिए अग्रेसित रकम (₹) Amount Passed for Payment (₹)	
1		4						
2			4					
3								
4								
5						-		
6								
7				1 (=0/D-)				
				al (रू0/Rs.) रोक्त रोगी मेरे ऊपर पूर्णतः 3				4 4 O
has ad स्थान/। दिनांक/	ctually bee Place : 'Dated :	en incurre	d by me.		र/Signature o ame & Design	f the claima	ant :	xpenditure
	में कार्य ग्रह				joining the Ins	The same of the same of		-
धिकृत चि	ाकित्सा परा	मर्शदाता क	ी टिप्पणी/R	emarks by Authorised	d Medical Co	nsultant		
रोक्त बिल	सत्यपित तथ	п	श्रेणी में	भुगतान के लिए अग्रेसित/Bills	Verified and for	warded for p	payment under_	Catego
				*				
					المستوا	जिल्ला/Autho	rised Medical	Canaultant
गंक/Date	ed:			Япафа	चिक्ति परानर	. Autilo	iseu Medical	Consultant
	ोग के लिए/।							
त्सा सहा	यता रजिस्टर	के पृष्ठ संर	<u> ज्या</u> ा	पर प्रविष्टि की गई			f	
स्वीकृत राशि					इस वित्तीय वर्ष में अब तक दी जा चुकी कुल राशि			
	11 < 1							
		रु० दे	क भुगतान के	लिए अग्रसारित				

या उसके परिवार के साथ नहीं रहते, उन्हें इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। वे माता/पिता जिनकी मासिक आय किसी भी स्त्रोत से (पेन्शन सहित) तत्समय आश्रित निर्भरता नियम के अनुसार प्रतिमाह से अधिक हैं, आश्रितों की श्रेणी में नहीं आते, अतः वे इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकेंगे। *Note- In regard to admissibility and eligibility of medical claims, members are advised to consult the Registrar's Office/Accounts Office. Dependants not residing with member/rest of the family are not eligible for this benefit. Parents having an income of as per preveling dependency category Rule per month or above from any source (including pension) is/are not dependant and hence not eligible for this benefit.